Registered with A/D
(निबन्धित प्राप्ति रसीद सहित)

JH/JP/ ...14895...........

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER
JHARKHAND

SUB-REGIONAL OFFICE

Purulia Highway, Mango,
Jamshedpur - 832110

No. JH/Jsr/Coverage / 3465/07/483 Dated the 18/5/07
संख्या जे0 एच0 / व्याप्ति / दिनांक

To,
सेवा में,

M/s मेसर्स SAMAY CONSTRUCTION PVT LTD
106, SAKCHI HIGHWAY (NEAR BENGAL CLUB)
SAKCHI, JAMSHEDPUR

Sub : Applicability for the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the Scheme framed thereunder to M/s ...Samay Construction Pvt Ltd...........

....

विषय : कर्मचारी मविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स ....

.... पर लागू होना।

Sir,
महोदय,

On the basis of particulars furnished by you on ....18.5.07.................. and on the basis of the inspection of the records of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector on .... it is evident that :-

आपके द्वारा दिनांक .... को प्रेपित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा .... को किये गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :–

(a) Your Establishment Factory viz M/s ...Samay Construction Pvt Ltd... engaged in ...Building & Construction............ Which is included in schedule/class of establishment in Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952.

(क) आपकी स्थापना / फैक्ट्री अर्थात मेसर्स .... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों / अनुसूची–1 में शामिल .... कार्य में लगी हुई है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages, the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear contributions for the back period from the subsequent wages of the employees's is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाये यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मालिकों को छोड़कर जहाँ ये वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकती।

(iii) The Employees' Pension Scheme will be applicable from prospective date i.e 1st of the month of issue of this coverage notice.

(iii) कर्मचारी पेन्शन स्कीम पिछली तिथि अर्थात इस कवरेज नोटिस के जारी होने के माह की पहली तारीख से लागू होगी।

(iv) Besides making deposits in account number 1, 2 & 10 as explained above, you are also required to deposits the contributions and Adm charges in account No. 21 and 22 under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976, in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(iv) उल्लिखित लेखा सं० 1, 2 और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(1)	Deposit-Linked Insurance Fund A/c No. 12	To this account will be deposited the contributions @ 0.5% Which Will be aggregate of the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowances if any, payable to the employees' by employer
(1)	निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21	इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किये जाने वाले मूल वेतन, महँगाई भत्ता, जिससे खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का 0.5% होगा।
(2)	Regional insurance Fund Adminisrative A/c No. 22	To this account will be deposited the administration charges @ 0.01% (subject to minium Rs. 2) Which will be aggreagate of the basic wages, dearnese allowance (including the each value of food concession and retaining allowance. if any payable to the employees, by an employer.
(2)	**क्षेत्रीय बीमा निधि . प्रशासकीय लेखा संख्या 22**	इस लेखा में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की अदा किया जाने वाला मूल वेतन, महँगाई भत्ता , जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, कुल राशि का 0.01% होगा तथा न्यूनतम 2/– रुपये होगा।

The deposit in the above accounts viz, 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challans and triplicate copies of the challans as received from the Bank should be forwarded to this office duly attached with from No. 12A (Revised) (explained below).

उपरोक्त लेखी अर्थात 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा करायी जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियाँ फार्म सं० 12 (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

(b) that the said establishment / factory has employed ...20...............................
persons on ......05.3.07...

(ख) उक्त स्थापना / फैक्ट्री में दिनांक ....को ....व्यक्ति कार्यरत है।

(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of sec. 16 (1) (b) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 of 5/3 years on ....therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder are applicable to your above named establishment together with head office and its branches /departments wheather situated at the same places or at different places with effect from ....05.3.07......family / provisionally, subject to further verification of your records for the earlier period.

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियमए 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धी के अन्तर्गत 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमे, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर ——————तारीख से स्थाई / अस्थाई रूप से लागू है. इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डो की जाँच अभी की जायेगी।

With reference to your application No ....dated ....
received for extension of E.P.F & Misc. Provisions Act, 1952 under Section 1 (4) of the said Act on a Voluntary Basis a code No. is hereby alloted to your establishment namely ....provisionally covering your establishment with effect from ....pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E.P.F & Misc Provisions Act. 1952

अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या ————— दिनांक —————के सन्दर्भ ————— में आपकी स्थापना अर्थात —————की कोड संख्या —————एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना की कार्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से —————लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा–1 उपधारा–4 द्वारा दप्रत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी कर लेती।

The Code No ...JH/14895...is alloted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder namely, E.P.F. Scheme, 1952 Employees' Pension Scheme 1995 and deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This code no. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

2 आपकी स्थापना की कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात भविष्य निधि और 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धत किया जाना चाहिए।

The contribution payable by the employer shall be at the rate of 10% / 12% of basic wages dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन महँगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत को नगद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% / 12% की दर से प्रतिमाह देय होगी। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की और नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

1. the contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. payable during the whole month wheather paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(i) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महँगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

2. each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e 50 paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ingnored.

(ii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन की नजदीकी रूपये में अर्थात 50 पैसे या अधिक को एक रूपया में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

3. for the purpose of calculation of contribution, the wages may be round off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ingnored

(iii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी।

Before paying the member his wages, you shall deduct the employees' contributions from his wages which together with your own contribution and administrative shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund nominated by the State Bank of India by seperated challans in the following manner.

(a)	E.P.F. contribution	To be deposited in E.P.F.A/c No. 1
(b)	Administrative charges	To be deposited in E.P.F. A/c No. 2
(c)	Employee's Pension Scheme	To be deposited in Emplopee's Pension A/c No. 10

4. सदस्य की वेतन देने से पूर्व आपके लिये यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटे और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नांकित रूप से जमा कराये।

(क)	क० भ० नि० अंशदान	क० भ० नि० लेखा संख्या 1 में जमा कराया जाए।
(ख)	प्रशासकीय प्रभार	क० भ० नि० लेखा संख्या 2 में जमा कराया जाए।
(ग)	क० पेंशन अंशदान	क० भ० पे० लेखा संख्या 10 में जमा कराया जाए।

Note : (i) The rate of administrative charges in 1.10% Subject to a minimum of Rs. 5/- w.e.f. 1-8-98 of pay, basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance. if any.

टिप्पणी : (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1–8–99 से वेतन, मूल वेतन, महँगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, 1.10% जो न्यूनतम 5 रुपये है।